



महाराष्ट्र शासन

पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य
महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, शहीद भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई ४०० ००१

क्र.पोमसं/२८-ओ/४९३७/म.पो.क.नि.स. बैठक/४३९/२००५

मुंबई, दि. ०६/०४/२०२३

विषय:- मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधी समितीची शुक्रवार, दि.२४/०३/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्ताबाबत.

मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधी समितीची बैठक शुक्रवार, दि.२४/०३/२०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय येथे घेण्यात आली. सदर बैठकीचे इतिवृत्त सोबत जोडले आहे. तसेच सदरचे इतिवृत्त www.mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

२. खालील घटक प्रमुखांना विनंती करण्यात येते की, त्यांना सदरचे कार्यवृत्त त्यांचे अधिपत्याखालील सर्व अधिकारी / अंमलदार यांचे निदर्शनास आणून द्यावेत. इतिवृत्तामधील नमूद परिपत्रक / जापन निर्गमित करण्यात येतील. तदनंतर महाराष्ट्र पोलीस कल्याण निधीची सुधारित नियमावली प्रसिध्द करण्यात येईल.

(अनुप कुमार सिंह)

अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन)
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकरिता

प्रति,

महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (सस्नेह)

पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (सस्नेह)

पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (सस्नेह)

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

सर्व पोलीस आयुक्त (लोहमार्ग सह)

अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक/रा.रा.पो.बल/वाहतूक/फोर्स वन/विशेष कृती/

आर्थिक गुन्हे/नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

अपर पोलीस महासंचालक, पोलीस बिनतारी संदेश/मोटर परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक / पोलीस उप महानिरीक्षक

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, म.राज्य, मुंबई

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा विभाग / सागरी सुरक्षा, दादर, मुंबई

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक / महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे

पोलीस उप महानिरीक्षक, रा.रा.पो.बल., पुणे / नागपूर
सर्व पोलीस अधीक्षक (लोहमार्ग/अ.सी.बी./गुन्हे अन्वेषण/बिनतारी संदेश/मोटर परिवहन सह)
सर्व समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.१ ते १९
सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, रा.रा.पो.बल, प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज-दौंड सह
प्राचार्य, यु.ओ.टी.सी. नागपूर
उप संचालक, गुन्हे प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक

प्रत,

प्रभारी अधिकारी, संगणक कक्ष, पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
२. प्रभारी अधिकारी यांनी सोबत जोडलेले इतिवृत्त उपरोक्त नमूद संकेतस्थळावर एक महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रसिध्द करावे.

शुक्रवार, दि.२४/०३/२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वा. संपन्न झालेल्या मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधी व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधी व्यवस्थापन समितीची बैठक पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयात शुक्रवार, दि.२४/०३/२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वा. आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीस मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधी व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी व विशेष आमंत्रित अधिकारी / अंमलदार उपस्थित होते.

| अ. क्र. | समिती सदस्यांची पदनामे | पद |
|---------|--|-------------------|
| १ | पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | अध्यक्ष |
| २ | अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) | उपाध्यक्ष |
| ३ | अपर पोलीस महासंचालक, बिनंतारी संदेश विभाग / मोटार परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | सदस्य |
| ४ | अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | निर्मात्रित सदस्य |
| ५ | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद | सदस्य |
| ६ | पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर | सदस्य |
| ७ | पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर | सदस्य |
| ८ | समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई | सदस्य |
| ९ | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, जालना (प्रतिनिधी - उपप्राचार्य, मसूद महेबुब खान) | सदस्य |
| १० | पो.नि., किरणकुमार कबाडी, नेमणूक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर | सदस्य |
| ११ | म.पो.नि., गिरीषा अभ्युदय निंबाळकर, नेमणूक महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधनी, पुणे | सदस्य |
| १२ | पो.हवा./१२०५ इजाज गुलाब शेख, नेमणूक पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर | सदस्य |
| १३ | पो.हवा./१४९०, शिवचरण श्रीरामजी मडघे, नेमणूक पोलीस अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण | सदस्य |
| १४ | पो.शि./१३१३ विठ्ठलपंत विजयकुमार जिंदे, नेमणूक पोलीस आयुक्त, सोलापूर शहर | सदस्य |

मा. उपाध्यक्ष यांनी सर्वप्रथम बैठकीतील उपस्थितांचे स्वागत केले. तद्नंतर अध्यक्षांच्या संमत्तीने पोलीस कल्याण निधी व्यवस्थापन समितीसमोर विचारार्थ असलेल्या मुद्द्यांचे वाचन केले. मा.अध्यक्षांनी प्रत्येक मुद्द्यावर सभासदांची मते विचारली व त्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेनुसार समितीने पुढीलप्रमाणे एकमताने निर्णय घेतला :-

महाराष्ट्र पोलीस कल्याण निधीची दि.२४/०३/२०२३ रोजी बैठकीतील मुद्दे

| अ. क्र. | विषय सुची घटक | विषय / मुद्दा | मा. अध्यक्षंचे आदेश / निर्देश | ठरावाच्या अनुषंगाने करण्यात येणारी कार्यवाही |
|---------|-----------------------|---|--|--|
| १ | पोलीस अधीक्षक, जळगांव | <p>पोलीस कल्याण निधी नियम ९ (१) (ब-३) शैक्षणिक कल्याण :- पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक तसेच पोलीस कल्याण निधीचे सभासद असलेले लिपिक वर्गीय अधिकारी/कर्मचारी ते गट-ड चे कर्मचारी यांच्या दोन पाल्याकरिता नियम (ब) (२) मध्ये नमुद केलेल्या शिक्षण संस्थासह बी.टेक/बी.ए.एम.एस/बी.एच. एम.एस./इतर मॅनेजमेंट कॉलेज, बी.सी.ए./एम.सी.ए. अशा प्रकारे व त्या समकक्ष इतर महत्वाचे शिक्षण घेत असलेल्या शासन मान्य अभियांत्रिकी / वैद्यकीय तसेच प्रबंध संस्थामध्ये आणि शासनमान्य व्यायसायिक अभ्यासक्रमासाठी कर्जस्वरुपात शिक्षणासाठी वार्षिक टयुशन फी स्वरुपात भराव्या लागणा-या फी एवढी रक्कम रु.५०,०००/- (अक्षरी - रुपये पन्नास हजार फक्त) शैक्षणिक अग्रिम म्हणून देण्यात येईल बाबत तरतूद आहे.</p> <p>वैद्यकीय / अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असलेल्या पाल्यांची टयुशन फी ची रक्कम रु.५०,०००/- (अक्षरी - रुपये पन्नास हजार फक्त) पेक्षा जास्त राहाते. याकरिता रुपये १,००,०००/- (अक्षरी - रुपये एक लाख फक्त) शैक्षणिक अग्रिम कमाल मर्यादा करण्यात यावी, ही विनंती.</p> | <p>मुद्दा मान्य. तथापि, पो.क. निधीचे सभासद असलेल्या पोलीस अधिकारी / अंमलदार यांच्या पाल्यांना देण्यात येणारे शैक्षणिक अग्रिमाची रक्कम रु.५०,०००/- वरून रु.७५,०००/- (अक्षरी रक्कम रु. पंच्च्याहत्तर हजार फक्त) इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे.</p> | परिपत्रक निर्गमित करण्यात येईल. |
| | | | <p>तसेच घटक कार्यालयाकडून सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात पोलीसांच्या पाल्यांना देण्यात आलेल्या शैक्षणिक अग्रिम थकबाकीच्या घटक निहाय आकडेवाडीची माहिती मागविणेबाबत सुचना दिलेल्या आहेत.</p> | ज्ञापन निर्गमित करून माहिती मागविण्यात येईल. |
| २ | पोलीस अधीक्षक, जळगांव | <p>पोलीस कल्याण निधी नियम ९ (१) (ग) पोलीस कल्याण निधी अंतर्गत चालवण्यात येणारी पोलीस रुग्णालये व प्रसुतिगृहे किंवा दवाखाने यामध्ये पोलीस विभागातील कर्मचा-यांवर व त्यांच्या कुटूंबियांवर उपचार करणा-या डॉक्टरांना मानधन देण्याबाबत तरतूद केली आहे.</p> <p>जळगांव जिल्हा घटकांमध्ये पोलीस कल्याण निधी अंतर्गत इतरही काही उपक्रम आहेत. उदा. जलतरण तलाव,</p> | <p>मुद्दा अमान्य. कर्मचारी यांची मानधनावर नियुक्ती केल्यानंतर पोलीस कल्याण निधीवर अनावश्यक अतिरिक्त ताण पडेल.</p> <p>राबविण्यात येणा-या योजना ह्या पोलीस मुख्यालयातील आहे.</p> | ज्ञापन निर्गमित करण्यात येईल. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|
| | | <p>व्यायाम शाळा, पोलीस क्लब, मल्टीपपर्ज हॉल, वाचनालये या ठिकाणी देखील मानधन कर्मचारी यांची नेमणूक होणे आवश्यक आहे. या करिता त्यांना मानधन देणेबाबत तरतुद करण्यात यावी, ही विनंती.</p> | <p>अशा प्रकरणी शासनद्वारे कंत्राटी पध्दतीने स्वच्छता कर्मचारी नेमण्याबाबतची तरतुद असतांना त्याकरिता पोलीस कल्याण निधीतून मानधनावर कर्मचा-यांची नेमणूक करणे योग्य नाही. तरी स्वच्छता कर्मचारी यांना शासन तरतुदीनुसार कंत्राटी पध्दतीने घेण्यात यावे अशा सूचना देण्यात याव्यात.</p> | |
| ३ | <p>समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई</p> | <p>पोलीस कल्याण निधी मधुन दरवर्षी देण्यात येणारे शालेय शिक्षणाकरिता पुस्तक अनुदान १२५०/- ऐवजी २०००/- मिळावे तसेच मुलींकरिता देण्यात येणारे दप्तर अनुदान १०००/- ऐवजी रुपये २०००/- मुलगा व मुलगी या दोन्ही पाल्यांना मंजुर होऊन मिळावे.</p> | <p>मुद्दा अमान्य. मागील दि.१६/०२/२०२२ च्या बैठकीत पुस्तक तसेच दप्तर अनुदानात वाढ केली असल्यामुळे या वर्षी पुस्तक व दप्तर अनुदान वाढविण्याची आवश्यकता नाही.</p> | --- |
| ४ | <p>समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई</p> | <p>पोलीस कल्याण निधी परतावा कर्ज वसुली मासिक १८ हप्ते ऐवजी कमाल २४ किंवा किमान ३० मासिक हप्त्यामध्ये वसुली होऊन मिळावी.</p> | <p>मुद्दा अमान्य. पोलीस कल्याण निधी परतावा बिनव्याजी कर्ज वसुली १८ हप्ते ऐवजी कमाल २४ अथवा ३० महिन्याचा कालावधी वाढविल्यास त्या कर्ज वसुलीचा हिशोब ठेवण्याच्या दृष्टीने सोईस्कर होणार नाही तसेच त्याचा आर्थिक ताण पोलीस कल्याण निधीवर येऊ शकतो.</p> | --- |
| ५ | <p>समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई</p> | <p>वैदयकीय आजाराकरिता अचानक उद्भवणा-या घेण्यात येणारे पोलीस कल्याण निधी परतावा कर्ज वसुली कालावधी ०३ महिने ऐवजी ०६ किंवा ०९ महिने होऊन मिळावी जेणे करुन सदर कालावधीमध्ये वैदयकीय देयक पारित झाल्याने परतावा कर्ज वसुली करता येईल.</p> | <p>मुद्दा मान्य. वैदयकीय आजाराकरिता घेण्यात येणारे पोलीस कल्याण निधी परतावा कर्ज वसुली कालावधी ०३ महिने ऐवजी ०६ महिने करण्यात येत आहे.</p> | परिपत्रक निर्गमित करण्यात येईल. |

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|
| ६ | पोलीस आयुक्त, अमरावती शहर | पोलीस कल्याण निधीमधून सदस्यांच्या पाल्यांना देशाबाहेर उच्च शिक्षणाकरिता प्रोत्साहनपर विशेष बाब म्हणून पुस्तक अनुदान व शिष्यवृत्ती अनुदान मिळणेत यावे. | मुद्दा अमान्य. देशाबाहेरील शिक्षणाकरिता पुस्तक अनुदान व शिष्यवृत्ती अनुदान दिल्यास घटक पोलीस कल्याण निधीवर ताण पडणार आहे. | --- |
| ७ | पो.ना. १३१३ वि. वि. जिंदे, नेमणूक सोलापूर शहर | <p>मध्यवर्ती पोलीस कल्याण समितीच्या दि.१६/०२/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांचे अपंग पाल्यांच्या शुश्रूषाकरिता पोलीस कल्याण निधीमधून योजना ठेवणेबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्या अनुषंगाने खालील योजना सुचविण्यात येत आहेत:-</p> <p>१. अपंगांसाठी लागणारी कृत्रिम अवयव, विशेष प्रकारचे बुट व बेल्ट, अपंगांसाठी लागणारी सायकल व खुर्ची व इतर सहाय्यक साधणे ही चांगल्या दर्जाची घ्यायची असल्यास त्याची किंमत खुपच जास्त आहे. त्यामुळे ती खरेदी करताना त्याच्या दर्जेबाबत तडजोडी करावी लागते. त्यामुळे ठरावीक रक्कम अनुदान म्हणून द्यावी. जेणेकरून ते त्यांच्या पाल्यासाठी चांगल्या दर्जाची साधने खरेदी करू शकतील.</p> <p>२. पोलीस कुटूंब आरोग्य योजनेत तातडीच्या शस्त्रक्रिया वगळता अपंगांसाठीच्या शस्त्रक्रियांचा समावेश होत नाही. तसेच इतर औषध उपचार उदा. फिजिओथेरेपी इत्यादीच्या खर्चाचा समावेशही होत नाही. त्यामुळे पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या अपंग पाल्यांच्या शुश्रूषाकरिता पोलीस कल्याण निधीमधून ६० महिन्यांकरिता मोठया रक्कमेचे अग्रिम / कर्ज दिले जावे.</p> <p>३. लहान मुलांच्या अपंगत्वावर उपचार करणारे तज्ञ डॉक्टर व आधुनिक उपचार पध्दतीही मुंबई, पुणे सारख्या मोठया शहरात उपलब्ध असते, अश्या मोठया शहरात राहण्याचा खर्च ही जास्त असतो. त्यामुळे मोठया शहरातील पोलीस क्लब, रेस्ट हाऊस या ठिकाणी उपचाराकरिता येणाऱ्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना अग्रक्रमाने व विनामुल्य राहण्याची सोय करावी.</p> | महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी / अंमलदार यांचे किती पाल्य अपंग आहेत व किती पाल्यांना अशा अनुदानाची गरज आहे याबाबतची माहिती प्राप्त करून घ्यावी. | ज्ञापन निर्गमित करण्यात येईल. |

महाराष्ट्र पोलीस कल्याण निधी नियमावलीत समाविष्ट करणे आवश्यक असलेल्या मुद्यांबाबत.

| अ. क्र. | नियम क्र. | नियमातील तरतूद | मा. अध्यक्षांचे आदेश / निर्देश | ठरावाच्या अनुषंगाने करण्यात येणारी कार्यवाही | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|---|--|--|---------------|----|--------------|-----|----|--------------------|-----|----|-----------|-----|----|------------------|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-----|----|----------|-----|----|-------------------------|-----|----|-------------------------------|-----|---|--------|-------|---------------|----|--------------|------|----|--------------------|-----|----|-----------|-----|----|------------------|-----|----|----------------|-----|----|------------|-----|----|-----------|-----|----|-------------------------|-----|----|-------------------------------|-----|---------------------------------|
| १ | ७(अ) | <p>माहे जानेवारी-२०१७ पासून सभासद चौमाही वर्गणीचे दर</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.क्र.</th> <th>पदनाम</th> <th>चौमाहि वर्गणी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>पोमसं/अपोमसं</td> <td>७५०</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>विपोमनि/पोउमनि/पोअ</td> <td>६००</td> </tr> <tr> <td>३.</td> <td>पोउअ/सपोआ</td> <td>४००</td> </tr> <tr> <td>४.</td> <td>पोनि/सपोनि/पोउनि</td> <td>२५०</td> </tr> <tr> <td>५.</td> <td>सपोउनि ते पोशि</td> <td>१५०</td> </tr> <tr> <td>६.</td> <td>वउस(गट-अ)</td> <td>६००</td> </tr> <tr> <td>७.</td> <td>उस(गट-ब)</td> <td>४००</td> </tr> <tr> <td>८.</td> <td>प्र.अ./वकाअ/काअ/लघुलेखक</td> <td>२५०</td> </tr> <tr> <td>९.</td> <td>प्र.लि/लिपिक/कार्यालयीन शिपाई</td> <td>१५०</td> </tr> </tbody> </table> | अ.क्र. | पदनाम | चौमाहि वर्गणी | १. | पोमसं/अपोमसं | ७५० | २. | विपोमनि/पोउमनि/पोअ | ६०० | ३. | पोउअ/सपोआ | ४०० | ४. | पोनि/सपोनि/पोउनि | २५० | ५. | सपोउनि ते पोशि | १५० | ६. | वउस(गट-अ) | ६०० | ७. | उस(गट-ब) | ४०० | ८. | प्र.अ./वकाअ/काअ/लघुलेखक | २५० | ९. | प्र.लि/लिपिक/कार्यालयीन शिपाई | १५० | <p>मुद्दा मान्य. सभासद वर्गणीचे चौमाही दर वाढविण्यात आलेले आहेत.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.क्र.</th> <th>पदनाम</th> <th>चौमाहि वर्गणी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>पोमसं/अपोमसं</td> <td>१०००</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>विपोमनि/पोउमनि/पोअ</td> <td>७५०</td> </tr> <tr> <td>३.</td> <td>पोउअ/सपोआ</td> <td>६००</td> </tr> <tr> <td>४.</td> <td>पोनि/सपोनि/पोउनि</td> <td>४००</td> </tr> <tr> <td>५.</td> <td>सपोउनि ते पोशि</td> <td>२५०</td> </tr> <tr> <td>६.</td> <td>वउस (गट-अ)</td> <td>७५०</td> </tr> <tr> <td>७.</td> <td>उस (गट-ब)</td> <td>६००</td> </tr> <tr> <td>८.</td> <td>प्र.अ./वकाअ/काअ/लघुलेखक</td> <td>४००</td> </tr> <tr> <td>९.</td> <td>प्र.लि/लिपिक/कार्यालयीन शिपाई</td> <td>२५०</td> </tr> </tbody> </table> | अ.क्र. | पदनाम | चौमाहि वर्गणी | १. | पोमसं/अपोमसं | १००० | २. | विपोमनि/पोउमनि/पोअ | ७५० | ३. | पोउअ/सपोआ | ६०० | ४. | पोनि/सपोनि/पोउनि | ४०० | ५. | सपोउनि ते पोशि | २५० | ६. | वउस (गट-अ) | ७५० | ७. | उस (गट-ब) | ६०० | ८. | प्र.अ./वकाअ/काअ/लघुलेखक | ४०० | ९. | प्र.लि/लिपिक/कार्यालयीन शिपाई | २५० | परिपत्रक निर्गमित करण्यात येईल. |
| अ.क्र. | पदनाम | चौमाहि वर्गणी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | पोमसं/अपोमसं | ७५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | विपोमनि/पोउमनि/पोअ | ६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३. | पोउअ/सपोआ | ४०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४. | पोनि/सपोनि/पोउनि | २५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५. | सपोउनि ते पोशि | १५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६. | वउस(गट-अ) | ६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७. | उस(गट-ब) | ४०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८. | प्र.अ./वकाअ/काअ/लघुलेखक | २५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९. | प्र.लि/लिपिक/कार्यालयीन शिपाई | १५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अ.क्र. | पदनाम | चौमाहि वर्गणी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | पोमसं/अपोमसं | १००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | विपोमनि/पोउमनि/पोअ | ७५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३. | पोउअ/सपोआ | ६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४. | पोनि/सपोनि/पोउनि | ४०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५. | सपोउनि ते पोशि | २५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६. | वउस (गट-अ) | ७५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७. | उस (गट-ब) | ६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८. | प्र.अ./वकाअ/काअ/लघुलेखक | ४०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९. | प्र.लि/लिपिक/कार्यालयीन शिपाई | २५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ९(१)(क) | <p>अंत्यविधीचा खर्च भागविण्यासाठी रु.१२०००/- इतक्या रक्कमेचे अंत्यविधी अनुदान दिले जाईल.</p> | <p>मुद्दा मान्य. अंत्यविधी अनुदानाची रक्कम रु.१२,०००/- वरून रु.२०,०००/- रुपये इतकी करण्यात आलेली आहे.</p> | परिपत्रक निर्गमित करण्यात येईल. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

महाराष्ट्र पोलीस कल्याण निधी नियमावलीत आवश्यक असलेल्या सुधारणांबाबत.

| अ. क्र. | नियम क्र. | नियमातील तरतूद | आवश्यक बदल | मा. अध्यक्षंचे आदेश / निर्देश | ठरावाच्या अनुषंगाने करण्यात येणारी कार्यवाही |
|---------|-----------|--|--|---|--|
| १ | ९(१)(क) | अंत्यविधी अनुदान - अंत्यविधीचा खर्च भागविण्यासाठी रु.१२०००/- इतक्या रक्कमेचे अंत्यविधी अनुदान त्यांच्या मुळगावी शव पोहचविण्यासाठी पोलीस वाहनांचा उपयोग केला असल्यास, त्या वाहनासाठी केलेल्या पेट्रोलच्या व इतर सर्व खर्चाची रक्कम देण्यात येईल. | अंत्यविधी अनुदान - अंत्यविधीचा खर्च भागविण्यासाठी रु.१२०००/- इतक्या रक्कमेचे अंत्यविधी अनुदान दिले जाईल. सदर अनुदानाचा समावेश त्यांच्या मुळगावी शव पोहचविण्यासाठी पोलीस वाहनाचा उपयोग केला असल्यास, त्या वाहनासाठी केलेल्या पेट्रोलच्या व इतर सर्व खर्चाच्या रक्कमेसह ग्राह्य राहिल. | अंत्यविधी अनुदान देण्यात येत असल्याने इतर होणारा खर्च देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. मात्र अंत्यविधीकरिता शव पोहचविण्यासाठी पोलीस वाहनाचा वापर विनामुल्य राहिल. | परिपत्रक निर्गमित करण्यात येऊन त्याप्रमाणे नियमावलीत सुधारणा करण्यात येईल. |
| २ | ९(१)(ह) | कला, साहित्य, क्रिडा व खेळ यासाठी मानधन - निधीच्या सदस्यांना व त्यांच्या मुलांना कला, साहित्य, क्रिडा व खेळ यासाठी प्रोत्साहन व उत्तेजन या प्रयोजनास्तव, मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधीमधून संबंधित घटकाच्या गरजेनुसार व उपलब्धतेनुसार खालील बाबींकरिता निधी उपलब्ध करून देता येईल. | कला, साहित्य, क्रिडा व खेळ यासाठी मानधन - निधीच्या सदस्यांना कला, साहित्य, क्रिडा व खेळ यासाठी प्रोत्साहन व उत्तेजन या प्रयोजनास्तव संबंधित घटकाने त्यांचे घटक पोलीस कल्याण निधीमधून खालील बाबींकरिता निधी उपलब्ध करून देतील. | पोलीस कल्याण निधीच्या सदस्यांना व त्यांच्या पाल्यांना क्रिडा साहित्य घटक पोलीस कल्याण निधीतून उपलब्ध करून देण्यात यावे. तसेच निधीच्या सदस्यांना कला, साहित्य, क्रिडा व खेळ यासाठी प्रोत्साहन व उत्तेजन या प्रयोजनास्तव संबंधित घटकाने त्यांचे घटक पोलीस | परिपत्रक निर्गमित करण्यात येऊन त्याप्रमाणे नियमावलीत सुधारणा करण्यात येईल. |

| | | | | | |
|---|---------|---|--|--|---|
| | | | | कल्याण निधीमधून खालील बाबींकरिता निधी उपलब्ध करून देतील. | |
| ३ | ९(५)(अ) | पोलीस निरीक्षक व त्याखालील दर्जाचे अधिकारी / कर्मचारी हे निधीचे फायदे घेण्यास पात्र राहतील. | पोलीस निरीक्षक व त्याखालील दर्जाचे तसेच उपसहायक व त्याखालील दर्जाचे मंत्रालयीन अधिकारी / कर्मचारी हे निधीचे फायदे घेण्यास पात्र राहतील. | मंत्रालयीन अधिकारी / कर्मचारी हे पोलीस कल्याण निधीचे फायदे घेण्यास पात्र राहतील. | याकरिता परिपत्रकाची आवश्यकता नाही सदर बाबींची नियमावलीत सुधारणा करण्यात येईल. |
| ४ | -- | -- | ज्या घटकात पोलीस कल्याण निधी अंतर्गत उपक्रम राबविले जात नाही त्यांनी त्यांची संपुर्ण सभासद वर्गणी त्यांचेशी संबंधित घटकात जमा करणे अनिवार्य आहे. (उदा. रागुवि., ट्रेनिंग, वाहतूक, दविप., विसुवि, सायबर, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग) | पोलीस कल्याण निधी संदर्भात पोलीस महासंचालक कार्यालयाने पुर्वी काढलेल्या परिपत्रकातील आदेश कायम राहतील. | --- |

महाराष्ट्र पोलीस कल्याण निधीची दि.२४/०३/२०२३ रोजीच्या बैठकीच्या वेळी उपस्थित झालेले मुद्दे

| अ. क्र. | विषय सुची घटक | विषय / मुद्दा | मा. अध्यक्षांचे आदेश / निर्देश | ठरावाच्या अनुषंगाने करण्यात येणारी कार्यवाही |
|---------|---|---|--|--|
| १ | पो.ना./१३१३ विठ्ठलपंत विजयकुमार जिंते, नेमणूक सोलापूर शहर | MPIS प्रणाली प्रमाणे वेल्फेरसाठी वेल्फेर मोड्युल स्वतंत्र संगणक प्रणाली बनविण्यात यावी. | पोलीस घटक कार्यालयातील एकुण जमा खर्चाची माहिती संबंधित घटक कार्यालयाकडून अद्यावत करण्यात येते. परंतु, सदर मोड्युलमध्ये वेल्फेर अर्ज करण्याची सुविधा नाही. तथापि, याबाबत अपर पोलीस महासंचालक, बिनतारी संदेश विभाग, म.राज्य, पुणे यांनी तपासणी करून, सविस्तर प्रस्ताव या कार्यालयाकडे पाठविणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. | मागील दि.१६/०२/२०२२ च्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार जापन निर्गमित करण्यात आलेले होते. आता पुन्हा जापन निर्गमित करून अहवाल मागविण्यात येईल. |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| २ | पो.ना. /१३१३ विठ्ठलपंत विजयकुमार जिते, नेमणूक सोलापूर शहर | सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचा-यांना महाराष्ट्र पोलीस कुटूंब योजना लागू होत नाही. | सेवानिवृत्त (पो.शि. ते स.पो.उप.नि.) पोलीस कर्मचा-यांना महाराष्ट्र पोलीस कुटूंब योजना लागू होत नाही. तथापि, सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचा-यांच्या आरोग्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना शासन स्तरावर मान्य करण्यात आलेल आहे. कॅबिनेट मध्ये याबाबत निर्णय देखील झालेला आहे. याबाबत पाठपुरावा करित आहोत. | हा मुद्दा पोलीस कल्याण निधीची संबंधित नाही तथापि, सेवानिवृत्त (पो.शि. ते स.पो.उप.नि.) पोलीस कर्मचा-यांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू करणेबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु आहे. |
| ३ | सपोउपनि/ १२०५ इजाज गुलाब शेख, नेमणुक पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर | पोलीस पाल्य वस्तीगृह उभारणेकरिता मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधीतून निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत | सदर प्रकरणी सविस्तर प्रस्ताव तयार करुन या कार्यालयास पाठविणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. | प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विचार करण्यात येईल. |
| ४ | म.पो.ना./१९१, सुलताना पठाण, नेमणूक पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर | Hip Replacement, Joint Disc यांचा गंभीर आजाराच्या यादीत समावेश करण्यात यावा. | गंभीर आजाराच्या यादीत कोण-कोणते आजार समाविष्ट करु शकतो याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन प्रस्ताव शासनास सादर करणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. | सदरचा मुद्दा कार्यासन क्रमांक २८ यांचेशी संबंधित असल्याने, का.क्र.२८ ला ज्ञापनाद्वारे कळविण्यात येईल. |
| ५ | समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.८, मुंबई | सबसिडीअरी कॅन्टीन बाबत. | प्रत्येक घटक प्रमुखांनी चांगल्या ऑडीटर (Auditor) कडून दरवर्षी ऑडीट (Audit) करुन घेणे आवश्यक आहे व सबसिडीअरी कॅन्टीन मधील नेमणूकीस असलेल्या कर्मचा-यांची वळोवेळी बदल्या करण्यात याव्यात तसेच सबसिडीअरी कॅन्टीनच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत संबंधित घटक प्रमुख विशेष लक्ष देतील. | ज्ञापन निर्गमित करण्यात येईल. |